अध्याय 1

राज्य सरकार का वित्त

1. राज्य का परिचय

बिहार भू-भाग से घिरा एक ऐसा राज्य है, जिसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तरप्रदेश, दक्षिण में झारखण्ड एवं उत्तर में नेपाल से सटे लम्बी अंतराष्ट्रीय सीमा है । भौगोलिक आकार (94163 वर्ग कि.मी.) के दृष्टिकोण से यह भारत का बारहवाँ तथा जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य हैं । बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 के संख्या 30) के अंतर्गत 15 नवम्बर 2000 को संयुक्त राज्य बिहार को 38 जिलों के साथ पुनर्गठित कर बिहार राज्य बनाया गया एवं संयुक्त बिहार के 18 जिलों[1] से बने एक नवीन राज्य झारखण्ड को गठित किया।

बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है तथा राज्य के पास कोई महत्वपूर्ण खनिज सम्पदा नहीं है । जैसा कि ***परिशिष्ट 1.1*** में दर्शाया गया है कि विगत दस वर्षो में बिहार का जनसंख्या घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो मीटर से बढ़कर 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. हो गया । बिहार की गरीबी रेखा संपूर्ण भारत के औसत गरीबी से अधिक है । विगत दशक में इस राज्य ने उच्च आर्थिक विकास प्रदर्शित किया है जैसे कि इसका वर्ष 2001-02 से 2010-11 तक का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मिश्रित वार्षिक विकास दर 15.61 रहा है जबकि इसकी तुलना में अन्य सामान्य दर्जे के राज्यों का विकास दर 14.68 रहा । इस अवधि के दौरान इसकी जनसंख्या सामान्य दर्जे के राज्यों की जनसंख्या 17.56 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 25.07 प्रतिशत सामान्य दर्जे के राज्यों में सर्वोच्च हो गयी ।

बिहार की इस दशक में प्रति व्यक्ति मिश्रित वार्षिक विकास दर (11.44 प्रतिशत) आय सामान्य दर्जे के राज्यों (11.32 प्रतिशत) की औसत मिश्रित वार्षिक विकास दर की तुलना में ज्यादा रही जबकि वर्ष 2010-11 में इस राज्य की प्रति व्यक्ति मिश्रित वार्षिक विकास दर आय/योगदान सामान्य दर्जे के राज्यों के औसत प्रति व्यक्ति मिश्रित वार्षिक विकास दर आय से कम रहा ।

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वित्त लेखा के लेखा परीक्षा पर आधारित है एवं यह बिहार सरकार के 31 मार्च 2011 के राजकोषीय स्थिति का परिदृश्य प्रस्तुत करता है । यह चालू वर्ष के दौरान बिहार सरकार के वित्त का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है । यह पिछले पाँच वर्षो के समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय संचय में विवेचनात्मक परिवर्तन को विश्लेषित करता है । सरकार के लेखा की संरचना एवं रूपरेखा ***परिशिष्ट 1.2* के भाग क** में वर्णित है तथा वित्तीय लेखा की रूपरेखा ***परिशिष्ट 1.2* के भाग ख** में प्रदर्शित किया गया है । वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम (एफ.आर.बी.एम.) 2010 द्वारा विनिर्दिष्ट नियम राज्य तथा राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अपनायी गयी पद्धति ***परिशिष्ट 1.3*** में दिये गये हैं ।

[1] बोकारों, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढवा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामु, राँची, साहेबगंज, सिंहभूम (पूर्वी) एवं सिंहभूम (पश्चिम)

1.1.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देन का सारांश

तालिका 1.1 पिछले वर्ष के साथ-साथ चालू वर्ष (2010-11) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देन को दर्शाता है । चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्ति एवं संवितरण का विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 1.4*** में प्रस्तुत किया गया है ।

तालिका **1.1:** चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देन का सारांश

(₹ करोड़ में)

2009-10	प्राप्तियाँ	2010-11	2009-10	संवितरण	2010-11		
खण्ड-क: राजस्व					गैर-योजना	योजना	कुल
35526.83	राजस्व प्राप्तियाँ	**44532.32**	**32584.17**	राजस्व व्यय	**27316.41**	**10899.51**	**38215.92**
8089.67	कर राजस्व	9869.85	12202.35	सामान्य सेवाएं	15109.01	177.96	15286.97
1670.42	करेत्तर राजस्व	985.53	13186.41	समाजिक सेवाएँ	7310.33	7779.09	15089.42
18202.58	संघीय कर/शुल्कों का अंश	23978.38	7087.95	आर्थिक सेवाएँ	4893.82	2942.46	7836.28
7564.16	भारत सरकार से अनुदान	9698.56	107.46	सहायता अनुदान एवं अंशदान	3.25	0.00	3.25
खण्ड ख : पूँजीगत							
0.00	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	**0.00**	**7332.09**	पूँजीगत परिव्यय	**45.69**	**9150.25**	**9195.94**
13.20	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	**11.86**	**896.78**	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	**268.05**	**834.58**	**1102.63**
6134.39	लोक ऋण प्राप्तियाँ*	**6032.42**	**1982.99**	लोक ऋण की अदायगियाँ*	**-**	**-**	**2190.03**
0.00	आकस्मिकता निधि	**1150.00**	**0.00**	आकस्मिकता निधि	**-**	**-**	**1150.00**
15303.39	लोक लेखा प्राप्तियाँ	**17321.25**	**15447.74**	लोक लेखा संवितरण	**-**	**-**	**16749.02**
3557.09	आरंभिक नकद शेष	**2291.13**	**2291.13**	अंतिम नकद शेष	**-**	**-**	**2735.44**
60534.90	कुल	**71338.98**	**60534.90**	कुल			**71338.98**

(स्त्रोत: बिहार सरकार के वित्तीय लेखा 2009-10 एवं 2010-11)
***अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट शुद्ध लेन-देन को छोड़कर**

वर्ष 2010-11 में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित है:

- कर राजस्व में ₹ 1780 करोड़ (22 प्रतिशत) वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्तियाँ में ₹ 9005 करोड़ (25 प्रतिशत) की वृद्धि हुई । भारत सरकार संघीय कर एवं शुल्क के अंश में ₹ 5775 करोड़ (32 प्रतिशत) की वृद्धि एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 2135 करोड़ (28 प्रतिशत) की वृद्धि हुई । राज्य का अपना कर राजस्व (₹ 9870 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा तय किये गए लक्ष्य (₹ 8242 करोड़) से 20 प्रतिशत अधिक रहा जबकि बजट प्राक्कलन (₹ 10644 करोड़) से सात प्रतिशत कम रहा । इस साल राज्य के करेत्तर राजस्व में ₹ 685 करोड़ (41 प्रतिशत) कमी हुई एवं (₹1654 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग के आकलन से 40 प्रतिशत एवं बजट प्राक्कलन (₹1207 करोड़) से 18 प्रतिशत कम रहीं ।

- राजस्व व्यय में ₹ 5632 करोड़ (17 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः सामाजिक सेवाएँ (₹ 1903 करोड़), आर्थिक सेवाएँ (₹ 748 करोड़) एवं सामान्य सेवाएँ (₹ 3085 करोड़) के कारण हुई । गैर योजना राजस्व व्यय (₹ 27316 करोड़) तेरहवीं वित्त आयोग के आकलन (₹ 24787 करोड़) से ₹ 2529 करोड़ (10 प्रतिशत) अधिक था परंतु बजट प्राक्कलन (₹ 29683 करोड़) ₹ 2367 करोड़ (आठ प्रतिशत) से कम था ।
- पूँजीगत व्यय में वृद्धि ₹ 1864 करोड़ (25 प्रतिशत) मुख्यतः ऊर्जा परियोजना (₹ 631.23 करोड़), ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 351.18 करोड़), जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (₹ 165.03 करोड़) के व्यय में वृद्धि के कारण हुई ।
- चालू वर्ष के दौरान ऋण एवं अग्रिमों की वसूली में ₹ 13.20 करोड़ से ₹ 11.86 करोड़ की कमी हुई जबकि ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण में ₹ 897 करोड़ से ₹ 1103 करोड़ की वृद्धि हुई । परिणामस्वरूप संवितरण में ₹ 205 करोड़ की शुद्ध वृद्धि हुई ।
- लोक ऋण प्राप्तियाँ में ₹ 102 करोड़ (दो प्रतिशत) की कमी हुई । लोक ऋण की अदायगी में ₹ 207 करोड़ (10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई । फलस्वरूप लोक ऋण में शुद्ध ₹ 105 करोड़ की वृद्धि हुई ।
- लोक लेखा प्राप्तियाँ वर्ष 2009-10 में ₹ 15503 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 17321 करोड़ हुई जबकि लोक लेखा संवितरण वर्ष 2009-10 में ₹ 15448 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 16749 करोड़ हुआ ।
- इन लेन-देनों के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के अंत में नगद शेष के रूप में पूर्व वर्ष से ₹ 444 करोड़ की वृद्धि हुई ।

1.2 राज्य के संसाधन

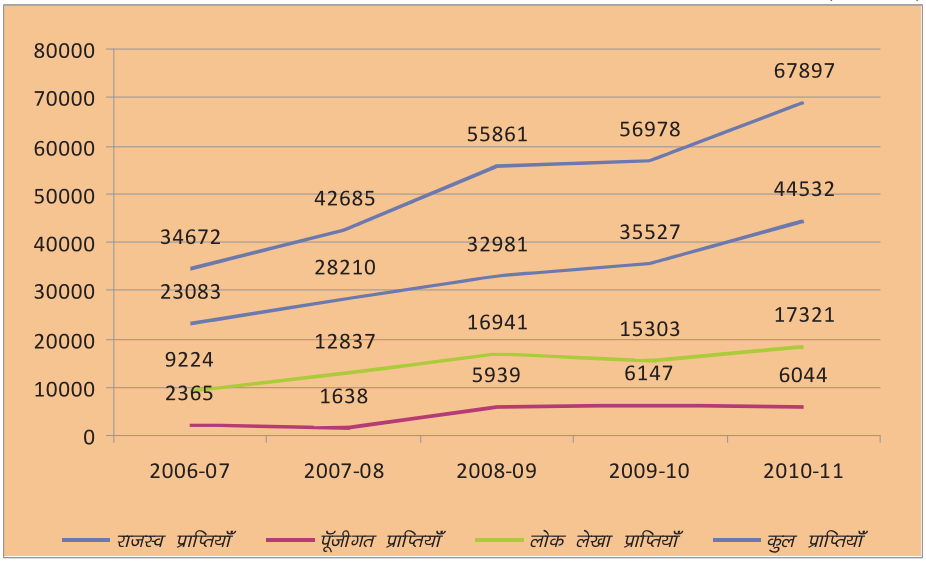
1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

राज्य सरकार के संसाधन प्राप्तियों के दो प्रवाह–राजस्व और पूँजी से बने है । राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश एवं भारत सरकार का सहायता अनुदान शामिल है । पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्त्रोत से ऋण प्राप्ति (बाजार से ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) भारत सरकार से अग्रिम एवं ऋण और लोक लेखा से संभूति सम्मिलित है ।

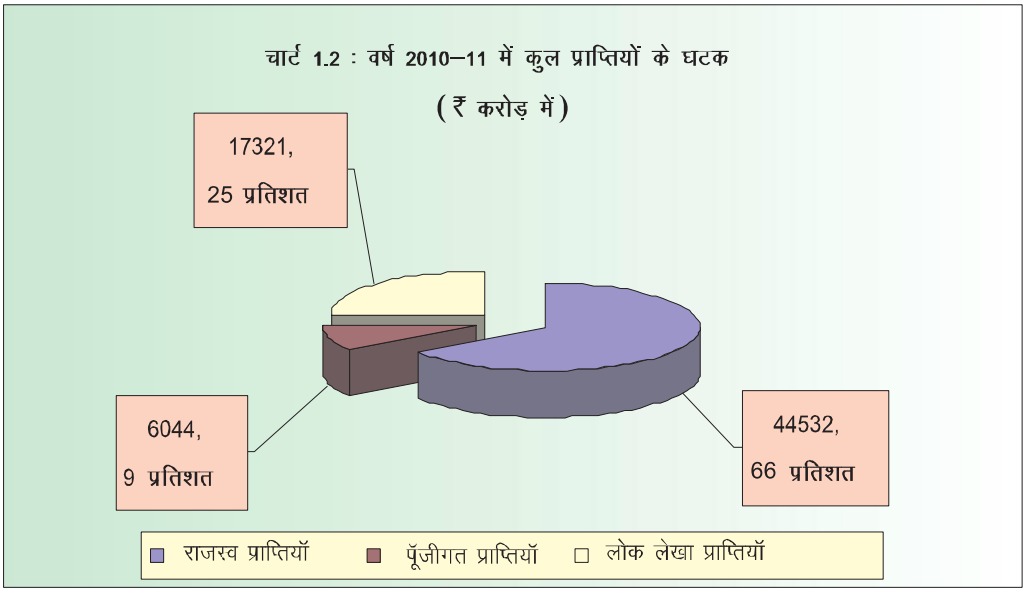
तालिका 1.1 वार्षिक वित्त लेखे 2010-11 में दर्ज चालू वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य की प्राप्तियाँ एवं संवितरणों को प्रस्तुत करता है जबकि **चार्ट 1.1** वर्ष 2006-11 के दौरान राज्य के प्राप्तियों के विभिन्न अवयवों की प्रवृत्ति को चित्रित करता है । **चार्ट 1.2** चालू वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य के संसाधनों के संयोजन को चित्रित करता है ।

चार्ट 1.1: कुल प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)



(स्त्रोतः वर्ष 2010-11 के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2006-07 में ₹ 34672 करोड़ के स्तर से ₹ 33225 करोड़ बढ़कर (96 प्रतिशत) वर्ष 2010-11 में ₹ 67897 करोड़ हो गयी । राजस्व प्राप्तियों में ₹ 21449 करोड़ (93 प्रतिशत) पूँजीगत प्राप्तियाँ में (जिसमें ऋण एवं अग्रिम की वसूली समाहित है) ₹ 3679 करोड़ (156 प्रतिशत) एवं लोक लेखा राजस्व में ₹ 8097 करोड़ (88 प्रतिशत) की वृद्धि इसी अवधि में हुई ।

कुल प्राप्तियों की तुलना में राजस्व प्राप्तियों का अंश वर्ष 2006-07 के 67 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2010-11 में 66 प्रतिशत हो गया । वर्ष 2006-11 के दौरान कुल प्राप्तियाँ में लोक लेखा प्राप्तियों का अंश करीब 26 प्रतिशत बना रहा जबकि इसी अवधि में पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं ऋण में सात से नौ प्रतिशत की वृद्धि रही ।

1.2.2 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधियों का हस्तांतरण

भारत सरकार द्वारा निधियों का एक बड़ा अंश विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों[2] को हस्तांतरण कर दिया जाता है । चूँकि ये निधियाँ राज्य बजट एवं कोषागार से होकर व्यय नहीं की जाती हैं अतः वार्षिक वित्त लेखा इन निधियों के प्रवाह एवं सीमा को नहीं दर्शाता है इस प्रकार राज्य की प्राप्तियाँ एवं व्यय, अन्य वित्तीय परिवर्तनशीलता/माप तथा साथ-साथ उससे निकलकर आने वाले परिचालिका को कम कर आंका जाता हैं । वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान कुल निधियों की उपलब्धता का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने के लिए राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे निधियों का हस्तांतरण ***परिशिष्ट 1.5*** में दिखलाया गया है ।

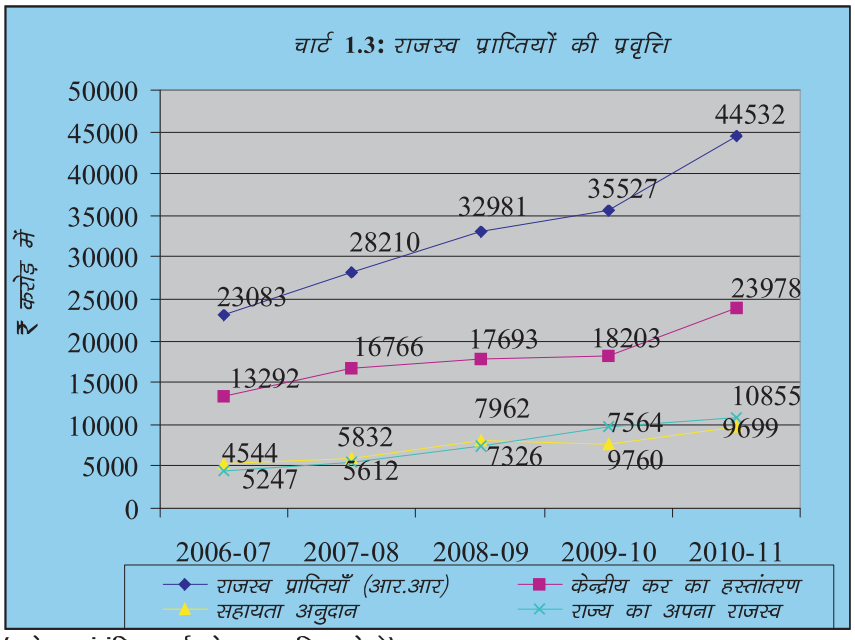
परिशिष्ट 1.5 बताता है, वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को 99 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 10309 करोड़ की निधि सीधे हस्तांतरित की गयी । यह वृद्धि मुख्यतः बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् को निधियों का हस्तांतरण में ₹ 831 करोड़ (68 प्रतिशत), जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में ₹ 1339 करोड़ (42 प्रतिशत) एवं असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा) में ₹ 24 करोड़ (75 प्रतिशत) हुई, इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को वर्ष 2010-11 में ₹ 3459 करोड़ का नया आवंटन किया गया । राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ₹ 401 करोड़ (95 प्रतिशत), राष्ट्रीय बाल श्रमिक योजना सह स्वैच्छिक एजेन्सी अनुदान में ₹ 10 करोड़ (56 प्रतिशत) एवं नये आई.आई.टी. की स्थापना में ₹ 33 करोड़ (62 प्रतिशत) के निधियों के हस्तांतरण में कमी हुई ।

चूँकि ये निधियाँ सरकारी लेखे से नहीं गुजरती इसलिए राज्य कार्यान्वयन एजेन्सियों को भारत सरकार से सीधे हस्तांतरित किये गये राशि का इन संगठन द्वारा लेखे की अनदेखी एवं निधियों का अनुपयोगी पड़े रहने का खतरा बना रहता है । कार्यान्वित करने वाली संगठन के लेखा प्रचलन के एकरूपता के अभाव में इन कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा उपयुक्त प्रलेखीकरण नहीं किया जा रहा था । वित्त लेखे के व्यय के परिचालिका को कम आँका गया ।

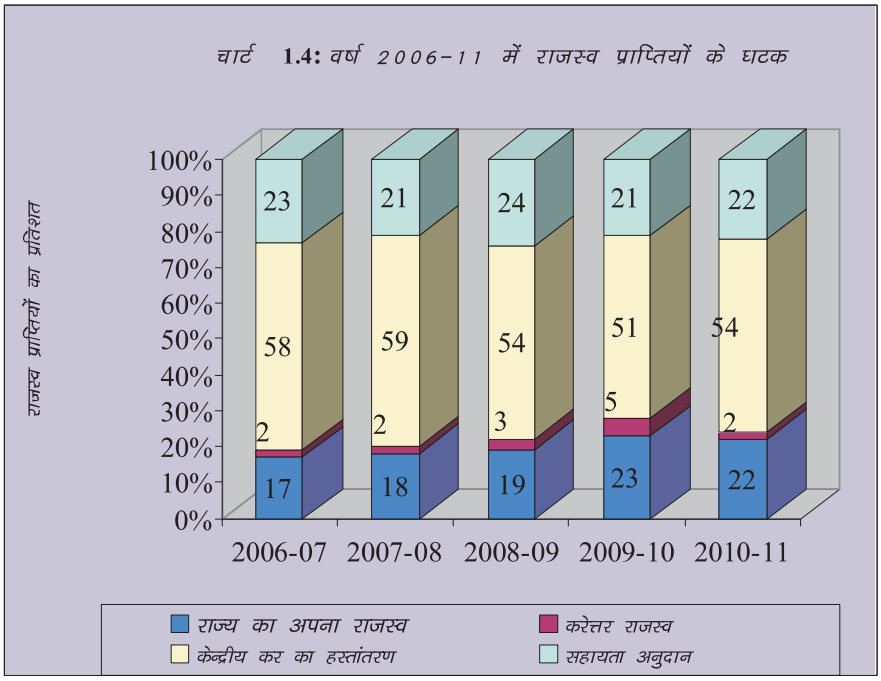
1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का विवरण संख्या-11 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है । राजस्व प्राप्तियों में राज्य का अपना कर एवं करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर का हस्तांतरण एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है । वर्ष 2006-11 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की संरचना एवं प्रवृत्ति को ***परिशिष्ट 1.4*** एवं **चार्ट 1.3** एवं **1.4** में भी क्रमशः दर्शाया गया है ।

[2] राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों में कोई भी संगठन/संस्थाएँ, वैसे गैर सरकारी संस्थाएँ शामिल है जो राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से, राज्य में विशेष कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए राज्य क्रियान्वयन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति आदि निधि प्राप्त करने के लिए मान्य है ।



(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)



(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों में 93 प्रतिशत की वृद्धि हुई । इसी अवधि में राज्य के अपने राजस्व में 139 प्रतिशत, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 85 प्रतिशत एवं केन्द्रीय कर के हस्तांतरण में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई । कुल राजस्व में राज्य के अपने राजस्व अंश (कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व) में वर्ष 2006-07 के 19 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2010-11 में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह वृद्धि मुख्यतः करेत्तर राजस्व में वर्ष 2006-07 के ₹ 511 करोड़ की तुलना में वर्ष 2010-11 में ₹ 985 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई । भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान एवं केन्द्रीय कर के हस्तांतरण के अंश में वर्ष 2006-07 की तुलना में 2010-11 में क्रमशः 23 प्रतिशत एवं 58 प्रतिशत से घटकर 22 प्रतिशत एवं 54 प्रतिशत हो गयी ।

वर्ष 2001-02 से 2009-10 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की मिश्रित विकास दर (17.41 प्रतिशत) सामान्य कोटि के राज्यों के विकास दर (15.20 प्रतिशत) से अधिक थी । वर्ष 2001-02 से 2010-11 अवधि के दौरान विकास दर 18.25 प्रतिशत रही ।

चालू मूल्य के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति को **तालिका 1.2** में दिखलाया गया है ।

तालिका **1.2:** सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजस्व प्राप्तियाँ (आर आर) (₹ करोड़ में)	**23083**	**28210**	**32981**	**35527**	**44532**
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	29.41	22.21	16.91	7.72	25.35
आर. आर./जी.एस.डी.पी. (प्रतिशत)	23.18	24.61	23.14	22.91	20.90
उत्पलवता अनुपात[3]					
राजस्व उत्पलवता संदर्भ में जी.एस. डी.पी.	1.16	1.47	0.70	0.88	1.17
राज्य के निजी कर उत्पलवता जी. एस.डी.पी. के संदर्भ में	0.52	1.73	0.88	3.53	1.02
जी.एस.डी.पी. (करोड़ में)	**103317**	**118687**	**150709**	**175245**	**213073**
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	23.66	14.88	26.98	16.28	21.59

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में वर्ष 2006-07 से वर्ष 2009-10 के बीच गिरावट की प्रवृत्ति रही जो 2006-07 में 29.41 प्रतिशत से 2009-10 में घटकर 7.72 प्रतिशत हो गया जबकि 2010-11 में कुछ वृद्धि के साथ 25.35 प्रतिशत रही जबकि राजस्व प्राप्तियों की तुलना में जी.एस.डी.पी. का प्रतिशत अनुपात वर्ष 2009-10 में 22.91 से घटकर वर्ष 2010-11 में 20.90 हो गया । जी. एस.डी.पी. के संदर्भ में राज्य की निजी कर उत्पलवता वर्ष 2006-07 में 0.52 से बढ़कर 2010-11 में 1 .02 हो गयी जबकि जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राजस्व उत्पलवता बढ़कर 2006-07 के 1.16 से 2010-11 में 1.17 हो गयी ।

[3] उत्पलावकता अनुपात आधार चल में दिये बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय चल की प्रतिक्रिया की सीमा या लचीलापन को इंगित करता है । जैसे-राजस्व उत्पलावकता 0.6 का मतलब है कि यदि जी.एस.डी.पी. एक प्रतिशत बढ़ता है तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशत तक बढ़ेगा ।

1.3.1 राज्य के निजी संसाधन

चूँकि केन्द्रीय कर एवं सहायता अनुदान में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर होता है, अतः केन्द्रीय कर प्राप्तियों का संग्रहण तथा योजना कार्यक्रम आदि हेतु केन्द्रीय सहायता और अतिरिक्त संसाधनों के संघटन में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन स्वयं के कर एवं करेत्तर संसाधनों के अनुसार होनी चाहिए ।

वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य सरकार के वास्तविक कर एवं करेत्तर राजस्व साथ ही तेरहवें वित्त आयोग के आकलन एवं बजट प्राक्कलन को नीचे **तालिका 1.3** में दिखलाया गया है ।

तालिका **1.3** आकलन/प्रास्तावना एवं वास्तविक आंकड़ें

(₹ करोड़ में)

	तेरहवीं वित्त आयोग का आकलन	राज्य के बजट प्राक्कलन	वास्तविक
कर राजस्व	8242	10644	9870
करेत्तर राजस्व	1654	1207	985

(स्त्रोत: राज्य के वित्त लेखे, तेरहवीं वित्त आयोग, बजट प्राक्कलन, 2010-11)

यद्यपि वर्ष 2010-11 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग के आकलन के विरुद्ध राज्य सरकार कर राजस्व में ₹ 1628 करोड़ की वृद्धि हुई तथापि बजट प्राक्कलन से ₹ 774 करोड़ की कमी हुई जबकि वास्तविक करेत्तर राजस्व में तेरहवीं वित्त आयोग के आकलन एवं राज्य बजट प्राक्कलन के विरुद्ध क्रमशः ₹ 669 करोड़ एवं ₹ 222 करोड़ की कमी रही । राजस्व के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने का मुख्य कारण विविध सामान्य सेवाएँ में ₹ 770 करोड़ एवं ब्याज प्राप्तियाँ में ₹ 115 करोड़ के संग्रह में कमी होना था ।

कर राजस्व

कर राजस्व में वर्ष 2006-11 की अवधि में 145 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि वर्ष 2006-07 में ₹ 4033 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 9870 करोड़ हो गई । कर राजस्व में घटकवार वृद्धि **तालिका 1.4** में दिखाये गये हैं ।

तालिका **1.4:** कर राजस्व में **2006-11** में वृद्धि के मुख्य घटक

(₹ करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
बिक्री, व्यापार आदि पर कर .	2081	2535	3016	3839	4557
वृद्धि दर	20	22	19	27	19
राज्य उत्पाद शुल्क	382	525	679	1082	1523
वृद्धि दर	20	37	29	59	41
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	455	654	716	998	1099
वृद्धि	-10	44	10	39	10
वाहन पर कर	181	273	298	345	455
वृद्धि दर	-40	51	10	16	32

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

कर राजस्व में मुख्य अंश बिक्री, व्यापार इत्यादि पर लगाये गये कर राजस्व है और यह वर्ष 2006-07 में 52 प्रतिशत एवं वर्ष 2010-11 में 46 प्रतिशत रहा । मुद्रांक और निबंधन शुल्क का अंश करीब 11 प्रतिशत रहा । इस अवधि में राज्य उत्पाद के राजस्व कर का अंश नौ प्रतिशत से 16 प्रतिशत रहा जबकि वाहन कर का अंश चार से पाँच प्रतिशत रहा (***परिशिष्ट 1.6***) ।

वर्ष 2001-02 से 2009-10 की अवधि में कर राजस्व की मिश्रित विकास दर (16.90 प्रतिशत) सामान्य कोटि के राज्यों के विकास दर (14.53 प्रतिशत) से ज्यादा रहा । वर्ष 2001-02 से 2010-11 की अवधि में यह विकास दर बढ़कर 17.44 प्रतिशत हो गयी (*परिशिष्ट 1.1*) ।

1.3.2 कर संग्रहण पर व्यय

तालिका **1.5** वर्ष 2009-10 से 2010-11 के दौरान वृहद कर राजस्व के स्त्रोत, वृहद कर के सकल संग्रहण एवं संग्रहण में व्यय के साथ ही वर्ष 2009-10 के संपूर्ण भारत औसत को प्रदर्शित करता है ।

तालिका **1.5:** संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर प्रतिशत व्यय	सकल संग्रहण में व्यय	वर्ष 2009-10 के लिए संपूर्ण भारत की औसत प्रतिशतता
1.	वाणिज्यिक कर*	2009-10	5,541.00	48.84	0.88	0.96
		2010-11	6653.37	57.23	0.86	
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	2009-10	1,081.68	44.02	4.07	3.64
		2010-11	1523.35	37.65	2.47	
3.	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	2009-10	997.90	45.90	4.60	2.47
		2010-11	1098.68	46.58	4.24	
4.	वाहन कर	2009-10	345.13	10.41	3.02	3.07
		2010-11	455.43	16.92	3.72	

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

कर राजस्व के संग्रहण पर व्यय का परास वाणिज्य कर के मामले में 0.86 से 0.88 प्रतिशत रहा जो कि राष्ट्रीय औसत के 0.96 प्रतिशत से कम था । राज्य उत्पाद शुल्क के मामले में यह 2.47 प्रतिशत से 4.07 प्रतिशत रहा जबकि राष्ट्रीय औसत 3.64 प्रतिशत था । मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क के मामले में यह 4.24 प्रतिशत से 4.60 प्रतिशत के बीच रहा जो कि राष्ट्रीय औसत 2.47 प्रतिशत से ज्यादा था । तदनुसार कर संग्रहण की लागत का परास वाहन कर के मामले 3.02 से 3.72 प्रतिशत के बीच रहा जबकि राष्ट्रीय औसत 3.07 प्रतिशत था जो **तालिका 1.5** में वर्णित है ।

1.3.3 राजस्व वापसी

वित्तीय वर्ष 2010-11 के प्रारंभ एवं अंत में राजस्व बकाये के लंबित मामले **तालिका 1.6** में दर्शाये गये हैं ।

* वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सकल संग्रहण में बिक्री कर/वैल्यू एडेड टैक्स (वैट), माल तथा यात्री पर कर, स्थानीय क्षेत्रों में माल पर प्रवेश कर, विद्युत कर तथा शुल्क एवं अन्य वस्तु एवं सेवा कर एवं शुल्क सम्मिलित है ।

तालिका 1.6: राजस्व बकाये की लंबित मामलों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

कम सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		स्थानीय क्षेत्रों में माल पर प्रवेश कर		मनोरंजन कर	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष 2010-11 के शुरू में लंबित दावा	2340	9506.77	103	96.74	06	2.00
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावा	144	2272.93	01	563.20	शून्य	शून्य
3.	वर्ष के दौरान बकाया वापसी	174	1079.83	01	563.20	शून्य	शून्य
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	2310	10699.87	103	96.74	06	2.00

(स्त्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार)

1.3.4 राजस्व बकाया

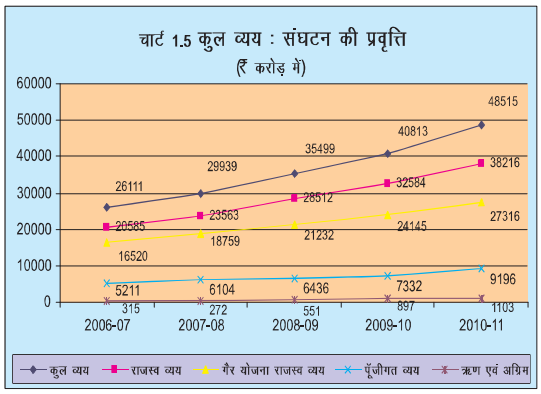
राजस्व के मुख्य शीर्ष में (सात विभागों द्वारा सूचित) 31 मार्च 2011 को राजस्व बकाया ₹ 1198.24 करोड़ थे जिसमें ₹ 598.99 करोड़ पाँच वर्ष से ज्यादा समय से लंबित थे जो ***परिशिष्ट 1.7*** में वर्णित है ।

1.4 संसाधनों का उपयोग

राज्य स्तर पर व्यय के विनिधान/प्रावधानों का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि व्यय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हें ही सुपुर्द हैं । राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के अंतर्गत घाटे और उधार द्वारा वित्त पोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय बाध्यता थी । यह, तथापि, सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जारी राजकोषीय शुद्धि और राज्य स्तर पर सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया व्यय, विशेषकर विकास और सामाजिक क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त व्यय की लागत पर न हो ।

1.4.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

चार्ट 1.5 पाँच वर्षों (2006-11) के दौरान कुल व्यय की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है । इसके संघटक दोनों शब्दों "आर्थिक वर्गीकरण" और क्रियाकलापों द्वारा व्यय के क्रम को क्रमशः **चार्ट 1.6** एवं **1.7** में चित्रित किया गया है ।



(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

तालिका 1.7 पिछले पांच वर्षों (2006-11) के पूँजीगत व्यय की वृद्धि दर्शाता हैं:

तालिका **1.7:** पूँजीगत व्यय की बढ़त

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
पूँजीगत व्यय	5211	6104	6436	7332	9196
वृद्धि दर (प्रतिशत)	150	17	05	14	25
कुल व्यय की प्रतिशतता	20	20	18	18	19

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

पांच वर्षों (2006-11) की अवधि में कुल व्यय में 86 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अवधि में, राजस्व व्यय में 86 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पूँजीगत व्यय में 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यद्यपि, कुल व्यय में एन. पी. आर. ई. की हिस्सेदारी वर्ष 2006-07 में 63 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2010-11 में 56 प्रतिशत हो गई जैसा कि चार्ट **1.5** में दर्शाया गया हैं। वर्ष 2001-02 से 2009-10 में पूँजीगत व्यय की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (33.14 प्रतिशत) सामान्य श्रेणी राज्यों के चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (22.61 प्रतिशत) से ज्यादा थी । वर्ष 2001-02 से 2010-11 की अवधि में यह वृद्धि दर घटकर 32.22 प्रतिशत हो गई (*परिशिष्ट 1.1*)।

वर्ष 2006–07 से 2010–11 के अवधि में ऋणों एवं अग्रिमों की वितरण में भी 250 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कुल व्यय में ऋणों एवं आग्रिमों की हिस्सेदारी एक प्रतिशत से बढ़कर दो प्रतिशत हो गई ।

वर्ष 2001–02 से 2009–10 में, कुल व्यय का चक्रवृद्धि वृद्धि दर (16.02 प्रतिशत) सामान्य श्रेणी राज्यों के चक्रवृद्धि वृद्धि दर (13.53 प्रतिशत) से ज्यादा थी । वर्ष 2001–02 से 2010–11 की अवधि में यह वृद्धि बढ़कर 16.31 प्रतिशत हो गई । वर्ष में कुल व्यय में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल व्यय में योजना एवं गैर योजना के बीच क्रमशः 44 प्रतिशत एवं 56 प्रतिशत में बाँटा गया ।

चार्ट 1.6: कुल व्यय घटकों में हिस्से की प्रवृत्तियाँ



(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष 2006–07 में कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश 78 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2010–11 में 79 प्रतिशत हो गया जबकि वर्ष 2006–07 में कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश 20 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2010–11 में 19 प्रतिशत हो गया । इस अवधि के दौरान ऋणों एवं अग्रिमों का अंश स्थिर रहा । गैर योजना राजस्व व्यय एवं कुल व्यय का अनुपात वर्ष 2006–07 में 63 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2010–11 में 56 प्रतिशत हो गया । गैर–योजना राजस्व व्यय एवं जी.एस.डी. पी. का अनुपात वर्ष 2006–11 में 16 प्रतिशत से घटकर 13 प्रतिशत हो गया ।

चार्ट 1.7: कुल व्यय घटकों की प्रवृत्तियाँ



(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

व्यय के इन घटकों के पारस्परिक अंश का संचलन यह प्रदर्शित करता है कि ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं का अंश 34 प्रतिशत (2006-07) से घटकर वर्ष 2010-11 में 32 प्रतिशत हो गया जबकि उक्त अवधि के दौरान आर्थिक सेवाओं का अंश स्थिर रहा । सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं का संयुक्त अंश जो विकास व्यय को प्रदर्शित करता है, इस अवधि के दौरान स्थिर रहा ।

राज्य का राजस्व व्यय वर्ष 2009-10 में 17 प्रतिशत बढ़कर ₹ 32584 करोड़ से वर्ष 2010-11 में ₹ 38216 करोड़ हो गया जो मुख्यतः पेंशन (₹ 1825 करोड़) एवं ब्याज भुगतान (₹ 634 करोड़) पर अधिक व्यय होने के कारण सामान्य सेवाओं (₹ 3085 करोड़) पर व्यय में वृद्धि के कारण हुआ।

शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति (₹ 684 करोड़), सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार (₹ 643 करोड़), जलापूर्ति एवं स्वच्छता(₹ 260 करोड़) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 114 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण गत वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय में ₹ 1904 करोड़ की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय का गैर योजना राजस्व व्यय एवं योजना राजस्व व्यय में विभाजन यह दर्शाता हैं कि गैर योजना राजस्व व्यय का समानुपातिक अंश योजना राजस्व व्यय से अपेक्षाकृत अधिक था। ₹ 5632 करोड़ के कुल वृद्धि में ₹ 3171 करोड़ एवं ₹ 2461 करोड़ क्रमशः गैर योजना एवं योजना व्यय सम्मिलित है।

वर्ष 2010-11 में गैर योजना राजस्व व्यय ₹ 27316 करोड़, तेरहवें वित्त आयोग (₹ 24787 करोड़) के सामान्य आकलन से अधिक था परंतु बजट अनुमान (₹ 29683 करोड़) से कम था ।

1.4.2 प्रतिबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व खाते से संबंधित प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज अदायगी, वेतन, पेंशन तथा रियायतें शामिल है । वर्ष 2006-11 के दौरान इन मदों से संबंधित व्यय की प्रवृति **तालिका 1.8** में दर्शायी गयी है।

तालिका **1.8:** प्रतिबद्ध व्यय के अवयव

(₹ करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन जिसमें से	**6016.21** (26.06)	**6469.53** (22.93)	**7545.61** (22.88)	**9658.74** (27.18)	**10091.59**	**10549.85** (23.69)
गैर योजना शीर्ष	***5538.57***	***5914.81***	***6995.31***	***9001.42***	अनुपलब्ध	**9953.36**
योजना शीर्ष	*477.64*	*554.72*	*550.30*	*657.32*	अनुपलब्ध	596.49
ब्याज अदायगी	3416 (14.80)	3707 (13.14)	3753 (11.38)	3685.48 (10.37)	4513.10	4319.16 (9.70)
पेंशन अदायगी	2497 (10.82)	2789 (9.89)	3479.03 (10.55)	4318.70 (12.16)	5873.47	6143.86 (13.80)
रियायतें	-	-	861.58 (2.61)	944.39 (2.66)	-	1349.96 (3.03)
कुल प्रतिबद्ध व्यय	11929.21 (52)	12965.53 (46)	15639.22 (47)	18607.31 (52)	-	22362.83 (50)
अन्य (मद) अवयव	8655.79 (38)	10597.47 (38)	12872.78 (39)	13976.69 (39)	-	15853.17 (35)
कुल राजस्व व्यय	20585	23563	28512	32584	40678	38216
राजस्व प्राप्तियाँ	23083	28210	32981	35527	47235	44532

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

कोष्टक में दिये गये आंकड़ें राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता दर्शाता है ।

*** योजना शीर्ष में केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना के अंतर्गत वेतन पर किया गया व्यय शामिल है ।**

वेतन

वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान वेतन पर होने वाले व्यय (₹ 10550 करोड़) में 75 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2001-02 से 2009-10 की अवधि में वेतन व्यय से संबंधित चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (7.85 प्रतिशत) सामान्य श्रेणी राज्यों की वृद्धि दर (11.45 प्रतिशत) की तुलना में कम थी, वर्ष 2001-02 से 2010-11 की अवधि में यह वृद्धि दर आठ प्रतिशत बढ़ गई (***परिशिष्ट 1.1***) । वेतन पर किया गया व्यय तेरहवें वित्त आयोग (₹ 9165 करोड़) तथा बजट अनुमान (₹ 10092 करोड़) द्वारा किए गए आकलन से क्रमशः 15 प्रतिशत तथा पांच प्रतिशत अधिक था ।

ब्याज अदायगी

ब्याज अदायगी (₹ 4319 करोड़) में पिछले पांच वर्षो में (2006-11) 26 प्रतिशत तथा पूर्व वर्ष में 17 प्रतिशत (₹ 634 करोड़) की वृद्धि हुई । ब्याज अदायगी की यह प्रतिशतता राजस्व प्राप्ति के मामले में वर्ष 2006-07 में 15 से घटकर वर्ष 2010-11 में 10 हो गयी। वर्ष 2010-11 में ब्याज अदायगी तेरहवें वित्त आयोग के आकलन (₹ 4439 करोड़) तथा बजट अनुमान (₹ 4513 करोड़) के अधीन थी ।

पेंशन भुगतान

वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान (₹ 6144 करोड़) में 146 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परन्तु इसके राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता वर्ष 2006-07 के 11 से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 14 हो गयी। वर्ष 2001-02 से 2009-10 की अवधि के दौरान पेंशन (8.35 प्रतिशत) व्यय का चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, सामान्य श्रेणी राज्यों के चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (14.09 प्रतिशत) से कम था। तथापि इस वृद्धि दर में वर्ष 2001-02 से 2010-11 के दौरान 11.67 प्रतिशत तक वृद्धि हुई (***परिशिष्ट 1.1***)। पेंशन भुगतान पर व्यय वर्ष 2010-11 में तेरहवें वित्त आयोग (₹ 3859 करोड़) के निर्धारण एवं बजट प्राक्कलन (₹ 5873 करोड़) से कमशः 59 प्रतिशत एवं पाँच प्रतिशत अधिक था।

रियायतें

किसी भी कल्याणकारी राज्य में सामाज के वंचित श्रेणी के लोगो को अनुदान/आर्थिक सहायता प्रदान करना सामान्य बात हैं। जनता को अनुदान प्रत्यक्ष का परोक्ष रूप से अनुदानित लोक सेवा के द्वारा दिया जा सकता है। वित्तीय संस्थानों को बजटीय सहायता निवेशों पर अपर्याप्त वापसी और सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से सेवा शुल्क जो की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, की कम वसूली अप्रत्यक्ष अनुदान की श्रेणी के अन्तर्गत आता है।

अनुदान पर भुगतान पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 406 करोड़ (43 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो की वर्ष 2010-11 में ₹ 1350 करोड़ हो गया जो कि राजस्व प्राप्ति का तीन प्रतिशत था । कुल अनुदान ₹ 1350 करोड़ में से ₹ 1080 करोड़ (80 प्रतिशत संसाधन पूर्ति हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ₹ 840 करोड़ और ग्रामीण स्वच्छता के लिए ₹ 70.84 करोड़, उद्योग विभाग को विद्युत अनुदान के लिए ₹ 65.61 करोड़ पिछले वर्ष के विरूद्ध प्रदान किया गया ।

1.4.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

तालिका 1.9 स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानो को वित्तीय सहायता	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
शैक्षणिक संस्थानों (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय)	845.17	808.58	966.80	613.07	1940.11
नगर निगम एवं नगर निकाय	141.13	209.40	950.04	997.68	690.21
जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थान	6.50	13.16	900.05	1395.22	1515.34
विकास एजेन्सियाँ	3.20	1.88	26.84	984.13	394.24
अस्पतालों एवं अन्य सहायतार्थ संस्थान	-	5.00	20.51	33.44	53.67
अन्य संस्थान	21.23	95.35	1558.25	356.33	28.25
कुल	**1017.23**	**1133.37**	**4422.49**	**4379.87**	**4621.82**
राजस्व व्यय के प्रतिशत के अनुसार सहायता	**4.94**	**4.81**	**15.51**	**13.44**	**12.09**

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष 2010-11 के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता, वर्ष 2006-07 के ₹ 1017.23 करोड़ की तुलना में ₹ 4621.82 करोड़ की वृद्धि हुई जो राजस्व व्यय का 12 प्रतिशत था । उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से प्रकट होता है कि वित्तीय सहायता में वर्ष 2009-10 के ₹ 4379.87 करोड़ के

तुलना में वर्ष 2010-11 में ₹ 4621.82 करोड़ की वृद्धि हुई । विगत वर्ष से ₹241.95 करोड़ (5.52 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः शैक्षणिक संस्थानों (₹ 1327.04 करोड़) जिला परिषद् और पंचायती राज संस्थानों (₹ 120.12 करोड़) अस्पताल और अन्य सहायतार्थ संस्थानों (₹ 20.23 करोड़) की सहायता में वृद्धि के कारण था।

यद्यपि विकास एजेन्सियों, नगर निगमों और नगरपालिकाओं एवं अन्य संस्थानों को सहायता राशि क्रमशः ₹ 589.89 करोड़, ₹ 307.47 करोड़ एवं ₹ 328.08 करोड़ कम हुई ।

1.5 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक और भौतिक आधारभूत संरचना की उपलब्धता व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है । व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूल रूप से तीन अवयवों पर निर्भर करता है जैसे व्यय की पर्याप्तता, लोक सेवाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान, व्यय करने की क्षमता और व्यय की प्रभावकारिता (चुनिंदा सेवाओं के लिए खर्च परिणाम संबंधी निर्धारण) सम्मिलित हैं ।

1.5.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

समाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक आधारभूत संरचना से संबंधित व्यय दायित्वों को बड़े पैमाने पर राज्य सरकार को सौपा जाता है। मानवीय विकास स्तरो में वृद्धि हेतु राज्यो को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सदृश सामाजिक सेवाओ पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है। निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (एकत्रित व्यय के श्रेणी के अंतर्गत व्यय का औसत), अगर अपने राष्ट्रीय औसत से निम्न है, इसे संबधित क्षेत्र से संयुक्त किया जाता है । **तालिका 1.10** वर्ष 2010-11 के अवधि में विकास व्यय, सामाजिक व्यय और पूँजीगत व्यय से संबधित राज्य सरकार के राजकोषीय प्राथमिकता को प्रदर्शित करता है ।

तालिका 1.10: वर्ष 2007-08 और 2010-11 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता एवं क्षमता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	ए. ई./ जी एस डी पी	डी. ई./ ए. ई.	एस.एस.ई./ ए. ई.	सी.ई./ ए.ई.	शिक्षा/ ए.ई.	स्वास्थ्य/ ए.ई
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात)2007-08	17.09	64.28	32.54	16.14	14.64	3.98
बिहार राज्य का औसत (अनुपात) 2007-08	25.23	67.43	35.63	20.39	18.55	4.63
सामान्य श्रेणी का औसत (अनुपात) 2010-11	16.68	64.29	36.68	13.25	17.39	4.34
बिहार राज्य औसत (अनुपात) 2010-11	22.77	65.39	33.31	18.95	16.99	3.44

सी.ई.:पूँजीगत व्यय, डी ईः विकास व्यय, एसएसई : सामाजिक क्षेत्र पर व्यय, सी ईः पूँजीगत व्यय
स्त्रोतः जी. एस. डी. पी. के अनुसार, राज्य के सांख्यिकी एवं आर्थिक निदेशालय द्वारा भेजी गई सूचना ।

तालिका 1.10 निम्न को दर्शाती है :

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राज्य सरकार का समस्त व्यय औसत सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में वर्ष 2007-08 एवं 2010-11 दोनों में अधिक था ।
- समस्त व्यय के अनुपात के रूप में विकास व्यय भी सामान्य श्रेणी राज्यों की औसत की तुलना में अधिक रहा ।
- वर्ष 2007-08 में सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र तथा शिक्षा क्षेत्र में दी गई पर्याप्त प्राथमिकता को बनाए नहीं रखा जा सका तथा वर्ष 2010-11 में इन क्षेत्रों पर व्यय सामान्य श्रेणी राज्यों की औसत की तुलना में कम हुआ।

- सामान्य श्रेणी के राज्यों की औसत की तुलना में वर्ष 2007-08 एवं 2010-11 में अनुपातिक रूप से पूँजीगत व्यय उच्चत्तर रहा है । भौतिक पूँजी की रचना की बढ़ी प्राथमिकता से टिकाऊ परिसंपत्ति के सृजन के साथ राज्य के विकास में वृद्धि की आशा भी बढ़ेगी ।

1.5.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

विकास शीर्षों[4] पर लोक व्यय के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को तीव्रतर करने हेतु राज्य सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह उचित व्यय का युक्तिसंगत उपाय करे तथा कोर पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स[5] के प्रावधान पर बल दे। विकासात्मक व्यय[6] के आवंटन में सुधार करने के अलावा, हाल के वर्षों में, विशेषकर ऋण वितरण में कमी के कारण राजकोषीय अंतर के परिपेक्ष्य में, व्यय के उपयोगिता की दक्षता, पूँजीगत व्यय एवं कुल व्यय (एवं/या सकल राज्य घरेलु उत्पाद) के समानुपात तथा वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण पर हुए राजस्व व्यय के अनुपात द्वारा प्रतिबिंबित होता है। कुल व्यय (तथा/या सकल राज्य घरेलु उत्पाद) पर इन घटकों का उच्चतर अनुपात व्यय का बेहतर गुण होगा ।

सामाजिक-आर्थिक सेवाओं में ऋण तथा अग्रिम सहित विकासात्मक व्यय में राजस्व एवं पूँजीगत व्यय समाविष्ट होते हैं। **तालिका 1.11** तथा **चार्ट 1.8** वर्ष 2006-11 के दौरान राज्य के कुल व्यय के सापेक्ष 'विकासात्मक व्यय' के प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है । **तालिका 1.12** वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के अनुरक्षण पर हुए पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के अवयवों का विवरण प्रस्तुत करता है ।

[4] विकास शीर्षों के अंतर्गत विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है ।

[5] कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिन्हें सभी नागरिक सार्वजनिक रूप में इस तरह उपयोग में लाते है कि व्यक्ति द्वारा इसके उपयोग और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके उपयोग से कोई अंतर नहीं पड़ता है जैसे विधि-व्यवस्था का लागू होना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण मुक्त हवा एवं अन्य पर्यावरण संबंधी सामान तथा सड़क संरचना आदि ।

मेरिट गुड्स वे सौदा है जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र मुक्त अथवा अनुदानित दरों पर मुहैया करता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा सोसाइटी को उन्हें अपनी आवश्यकता क्षमता और इच्छा के आधार पर लेना होगा जबकि सरकार को इसके लिए भुगतान करना होगा और इसलिए भुगतान करना होगा जब वह इनके उपयोग को बढ़ाना चाहती है । ऐसे सामानों में गरीबों के लिए मुफ्त या अनुदानित दरों पर पौष्टिक आहार, जीवन की गणवत्ता में सुधार लाने और बीमारियों को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुर्पुदगी, सभी को बुनियादी शिक्षा, पेय जल एवं स्वच्छता आदि शामिल है ।

[6] व्यय के आंकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर – विकास व्यय के रूप में अलग-अलग किया गया है । राजस्व लेखा से संबंधित सभी व्यय, पूँजीगत व्यय एवं ऋण एवं अग्रिमों को सामाजिक सेवाएँ, आर्थिक सेवाएँ एवं सामान्य सेवाएँ की श्रेणियों में रखा गया है । विस्तृत रूप में सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में विकास संबंधी व्यय, जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर-विकास व्यय माना गया है ।

तालिका-1.11: कुल व्यय से संबधित विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकासात्मक व्यय के अवयव	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
विकास व्यय (क से ग तक) कुल व्यय से विकास व्यय का प्रतिशत	17302 (66.26)	20452 (68.31)	24752 (69.73)	28222 (69.15)	32814 (67.64)
क. विकास राजस्व व्यय	11938 (45.72)	14306 (47.78)	17978 (50.64)	20274 (49.68)	22926 (47.26)
ख. विकास पूँजीगत व्यय	5056 (19.36)	5881 (19.64)	6230 (17.55)	7058 (17.29)	8800 (18.14)
ग. विकास ऋण एवं अग्रिम	308 (1.18)	265 (0.89)	544 (1.53)	890 (2.18)	1088 (2.24)

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

(**नोटः कोष्ठक में दिये गये आँकड़े कुल व्यय की प्रतिशतता को इंगित करते हैं।**)

चार्ट 1.8: विकास व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान विकास व्यय में 90 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यह व्यय कुल व्यय का 68 प्रतिशत है तथा यह वर्ष 2009-10 में ₹ 28222 करोड़ से ₹ 4592 करोड़ (16 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 32814 करोड़ हो गया। विकास व्यय का 70 प्रतिशत राजस्व व्यय था जबकि ऋण एवं अग्रिम सहित पूँजीगत व्यय का अंश 30 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान विकास पूँजी व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत बढ़ा, जो यह इंगित करता है कि परिसंपत्ति के सृजन में अधिक व्यय हुआ।

तालिका 1.12: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के व्यय उपयोग की दक्षता

(प्रतिशतता)

सामाजिक/आर्थिक आधारभूत संरचना	2009-10		2010-11	
	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश	राजस्व व्यय में अंश	कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अंश	राजस्व व्यय में अंश
		वेतन		वेतन
सामाजिक सेवाएँ (एस. एस.)				
सामान्य शिक्षा	3.88	73.33	0.15	44.60
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7.99	66.21	9.90	73.32
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	24.42	11.28	27.06	10.28
कुल (एस एस)	7.85	38.67	6.71	43.25
आर्थिक सेवाएं (ई एस)				
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	0.07	26.19	0.83	19.57
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	60.05	68.80	51.04	47.73
विद्युत एवं ऊर्जा	30.23	-	45.31	-
परिवहन	81.59	22.55	86.52	25.73
योग (आर्थिक सेवाएँ)	**49.08**	**22.87**	**55.51**	**22.86**
योग (सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ)	**28.18**	**33.14**	**30.72**	**36.80**

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

(टी ई- कुल व्यय, सी ई- पूँजीगत व्यय, आर ई- राजस्व व्यय)

कुल व्यय के संदर्भ में सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय का अनुपात वर्ष 2009-10 के 7.85 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2010-11 में 6.71 हो गया जबकि आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय का अनुपात वर्ष 2009-10 के 49.08 से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 55.51 प्रतिशत हो गया।

वेतन पर व्यय का अंश वर्ष 2009-10 के 38.67 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 43.25 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत, वेतन अंश वर्ष 2009-10 के 22.87 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 22.86 प्रतिशत हो गया। संयुक्त रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अर्न्तगत, वेतन का अंश वर्ष 2009-10 के 33.14 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 36.80 प्रतिशत हो गया।

1.6 सरकारी व्ययों एवं निवेशों का विश्लेषण

वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लागू होने के बाद राज्य सरकार से यह आशा की जाती है कि वह अपने राजकोषीय घाटा (और उधार) को न केवल न्यून स्तर पर रखे बल्कि पूँजीगत व्यय एवं निवेश (ऋण एवं अग्रिमों के साथ) को भी पूरा करें । इसके अतिरिक्त बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त लाभ अर्जित करने के लिए एवं उधार निधि के

अपने व्यय की वापसी के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है न कि उसे अपने बजट में निहित आर्थिक सहायता के रूप में ढोने और वित्तीय कार्यवाही में पारदर्शिता दर्शाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है । यह भाग चालू वर्ष यथा पूर्व वर्षों के दौरान राज्य सरकार के निवेशों एवं अन्य पूँजी व्यय के विस्तृत वित्तीय विश्लेषण को प्रस्तुत करता हैं ।

1.6.1 अपूर्ण परियोजनाएँ

मुकदमेबाजी के कारण रूके कार्य सहित अपूर्ण कार्यों पर निधि के अवरूद्ध होने से व्यय की गुणवत्ता पर नकरात्मक प्रभाव पड़ा । **तालिका 1.13** में 31 मार्च 2011 तक के अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार सूचनाएँ दी गई हैं । सम्मिलित रूप से 350 योजनाओं/परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 2819.35 करोड़) को मार्च 2011 तक पूर्ण होना था परंतु वे अपूर्ण रहे जिसके फलस्वरूप ₹ 1004.74 करोड़ अवरूद्ध हो गया । इसके अलावा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण (07), पथ निर्माण विभाग (02) और जल संसाधन विभाग (08) के अंतर्गत 17 योजना/अपुर्ण परियोजनाओं में लागत की अधिकता वास्तविक अनुमान से ₹ 15.14 करोड़ की सीमा पार कर गई जैसा कि ***परिशिष्ट 1.8*** में दर्शाया गया है ।

तलिका **1.13:** अपूर्ण परियोजनाओं का विभाग वार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	लागत वृद्धि		मार्च 2011 को संचित व्यय
			संख्याा	राशि	
भवन निर्माण विभाग	39	798.59	-	-	247.67
ग्रामीण कार्य विभाग	09	29.57	-	-	8.64
पथ निर्माण विभाग	51	702.21	02	3.23	127.07
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	119	559.04	07	4.46	258.74
जल संसाधन विभाग	132	729.94	08	7.45	362.62
कुल	**350**	**2819.35**	**17**	**15.14**	**1004.74**

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

निर्दिष्ट समय–सीमा के अंदर इन परियोजनाओं/कार्यों के अपूर्ण रहने के कारण न केवल मूल्य आदि में वृद्धि हुई वरन् राज्य भी लम्बे समय से इन लाभों से वंचित रहा।

1.6.2 निवेश एवं वापसी

31 मार्च 2011 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूँजी कम्पनियों, सहकारी समितियों एवं स्थानीय निकायों में ₹ 905.24 करोड़ निवेश किया था, जो कि **तालिका 1.14** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका-**1.14:**निवेश पर वापसी

निवेश/वापसी/ऋणो पर लागत	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	821.10	828.68	832.18	856.18	905.24
वापसी (₹ करोड़ में)	0.04	3.19	2.14	2.06	2.53
वापसी (प्रतिशत)	0.00	0.38	0.26	0.24	0.28
सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.15	7.15	7.93	6.48	6.87
ब्याज दर एवं वापसी के बीच का अंतर (प्रतिशत)	7.15	6.77	7.67	6.24	6.59

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

अंतिम पाँच वर्षों के निवेश पर औसत वापसी 0.23 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2006-11 के दौरान इन ऋणों पर सरकार द्वारा 7.11 प्रतिशत की औसत ब्याज दर का भुगतान किया गया।

यद्यपि वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 तक पाँच वर्षों की अवधि के दौरान सरकारी निवेश में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जबकि निवेशो से वापसी वर्ष 2006-07 के 0.04 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010-11 में ₹ 2.53 करोड़ हो गया। निवेश पर प्रतिशत वापसी भी वर्ष 2006-07 के शून्य से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 0.28 हो गया। वर्ष 2006-11 में सरकारी ऋणों पर सरकार द्वारा 7.15 से 6.87 प्रतिशत की दर से औसत भुगतान किया गया।

तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार सभी राज्यों को मार्च 2011 तक अकार्यरत लोक क्षेत्र उपक्रमो को समेटने हेतु रोड मैप तैयार किया जाना था, लेकिन संबंधित विभागों द्वारा इस संबध में कोई विस्तृत योजना तैयार नहीं किया गया।

1.6.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेश करने के अतिरिक्त सरकार कई संस्थानों एवं संगठनों को भी ऋण एवं अग्रिम धन राशि दे रही है । **तालिका 1.15** बकाया ऋणों एवं अग्रिमों तथा ब्याज प्राप्तियों की स्थिति को तथा विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज के भुगतानों को दर्शाती है ।

तालिका-**1.15:** राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्तियाँ/ऋण लागत की मात्रा	2008-09	2009-10	2010-11
पूर्व शेष	14128.10	14667.83	15551.42
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम	551.05	896.79	1102.63
वर्ष के दौरान वापसी राशि	11.32	13.20	11.86
अंतिम शेष	**14667.83**	**15551.42**	**16642.19**
जिसमें से बकाया शेष जिनकी शर्तें नियत की गई है			
निवल योग	539.73	883.59	1090.77
ब्याज प्राप्तियाँ	304.57	353.27	237.96
बकाया ऋण एवं अग्रिम के ब्याज प्राप्ति की प्रतिशतता	2.08	2.27	1.43
राज्य सरकार के बकाया वित्तीय दायित्व ब्याज के भुगतान की प्रतिशतता .	6.83	6.28	6.87
ब्याज भुगतान एवं ब्याज प्राप्ति का अंतर (प्रतिशत)	4.75	4.01	5.44

(स्त्रोतः संबधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

31 मार्च 2010 को ₹ 15551 करोड़ बकाया रकम के विरूद्ध 31 मार्च 2011 को कुल ₹ 16642 करोड़ का ऋण एवं अग्रिम बकाया था। वर्ष 2010-11 में ऋण एवं अग्रिमों पर 1.43 प्रतिशत ब्याज प्राप्त किया गया था। वर्ष के दौरान कुल अग्रिम ₹ 1103 करोड़ में से ₹ 1087.77 करोड़ आर्थिक सेवाओं(₹ 834.42 करोड़ ऊर्जा परियोजना के लिये, और शेष ₹ 238.49 करोड़ और ₹ 14.86 करोड़ सरकारी सेवकों) के लिए था ।

1.6.4 नगद शेष एवं नगद शेष का निवेश

तालिका 1.16 वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए नगद शेष एवं नगद शेष के निवेश को दर्शाता है ।

तालिका-**1.16:** नगद शेष एवं नगद शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल **2010** को	**31** मार्च **2011** को	वृद्धि/कमी
नगद शेष	2291.13	2735.44	444.31
नगद शेष से निवेश (क से घ)	4347.04	2294.80	(-)2052.24
(क) भारत सरकार की कोषागार बिल	0.00	0.00	0.00
(ख) भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	4342.39	2290.15	(-)2052.24
(ग) अन्य राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	4.65	4.65	0.00
(घ) अन्य निवेश	0.00	0.00	0.00
तारांकित शेष (क से ग) से निवेश का निधिवार विखण्डन	280.10	440.10	(+)160
(क) अकाल राहत कोष	0.10*	0.10	0.00
(ख) निक्षेप निधि	280.00	440.00	(+)160
ब्याज प्राप्ति	327.48	222.08	(-)105.40

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

***वृद्धि नहीं, 0.0961 पूर्णांक आंकड़ा स्वीकार्य**

वर्ष के दौरान नगद शेष ₹ 2291.13 करोड़ से बढ़कर ₹ 2735.44 करोड़ हो गया । फिर भी, नगद शेष से निवेश ₹ 4347.04 करोड़ से घटकर ₹ 2294.80 करोड़ हो गया। तारांकित शेष से निवेश में 1 अप्रैल 2010 को ₹ 280.10 करोड़ से ₹ 160 करोड़ बढ़कर ₹ 440.10 करोड़ हो गया। वर्ष 2010-11 के दौरान निवेश पर ₹ 222.08 करोड़ के ब्याज की प्राप्ति वर्ष 2009-10 के दौरान अर्जित ब्याज (₹ 327.48 करोड़) से ₹ 105.40 करोड़ (32 प्रतिशत) कम था ।

1.7 परिसंपत्ति एवं देनदारी

1.7.1 परिसंपति एवं देनदारी की वृद्धि एवं संरचना

सरकार की वर्तमान लेखा प्रणाली में सरकार की भूमि और भवन जैसी निर्धारित परिसंपत्तियों का विस्तृत लेखांकन नहीं किया गया तथापि सरकारी लेखा में सरकार की देनदारी तथा हुए व्यय से सृजित परिसंपत्तियाँ समाहित है । ***परिशिष्ट 1.9*** में 31 मार्च 2011 एवं 31 मार्च 2010 तक की ऐसी परिसंपत्ति एवं देनदरी की स्थिति का तुलनात्मक सार दिया गया है । जबकि इस परिशिष्ट में दर्शायी गयी देनदारी में मुख्यतः आंतरिक ऋण, भारत सरकार से लिए गए ऋण एवं अग्रिम की राशि, लोक लेखा से प्राप्तियाँ तथा आरक्षित निधि शामिल है, परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूंजी परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा प्रदत ऋण एवं अग्रिम धन तथा रोकड़ शेष शामिल है।

"समग्र देनदारी" जैसा कि बिहार राजकोषीय दायित्व अधिनियम में परिभाषित किया गया है यह राज्य की संचित निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत आने वाली देनदारी है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के ऋण और विशेष उद्देश्य हेतु विशिष्ट उद्देशीय परिवहन गारंटी जिनके मूलधन और/या ब्याज की देनदारी राज्य के बजट से ही दी जाती है, सम्मिलित है ।

1.7.2 राजकोषीय दायित्व

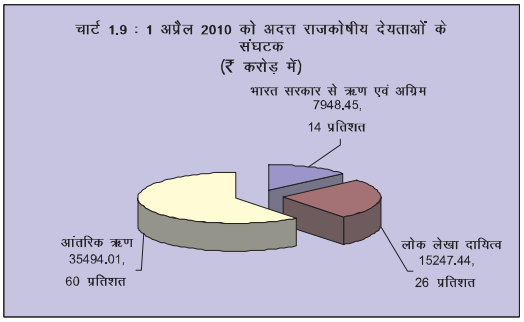
तालिका 1.17 में राज्य के बकाये राजकोषीय दायित्वों के प्रवृत्ति को दर्शाया गया है और वर्तमान वित्तीय वर्ष यथा पूर्व के वर्षो के राजकोषीय दायित्वों की संरचना को **चार्ट 1.9** तथा **1.10** में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.17: बकाया राजकोषीय दायित्व[7]

वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राशि (₹ करोड़ में)	49089	50989	54977	58690	62858
वृद्धि दर	5.58	3.87	7.82	6.75	7.10
राजकोषीय देयताओं का निम्न से अनुपात					
सकल राज्य घरेलु उत्पाद	0.475	0.429	0.365	0.335	0.295
राजस्व प्राप्ति	212.66	180.75	166.69	165.20	141.15
स्वयं के संसाधन	1080.3	908.57	750.44	601.33	579.07
राजकोषीय देयताओ की निम्न से उप्लावकता					
सकल राज्य घरेलु उत्पाद	0.24	0.26	0.29	0.41	0.33
राजस्व प्राप्ति	0.19	0.17	0.46	0.87	0.28
स्वयं के संसाधन	0.49	0.16	0.26	0.20	0.63

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

चार्ट 1.9 : 1 अप्रैल 2010 को अदत्त राजकोषीय देयताओं के संघटक
(₹ करोड़ में)

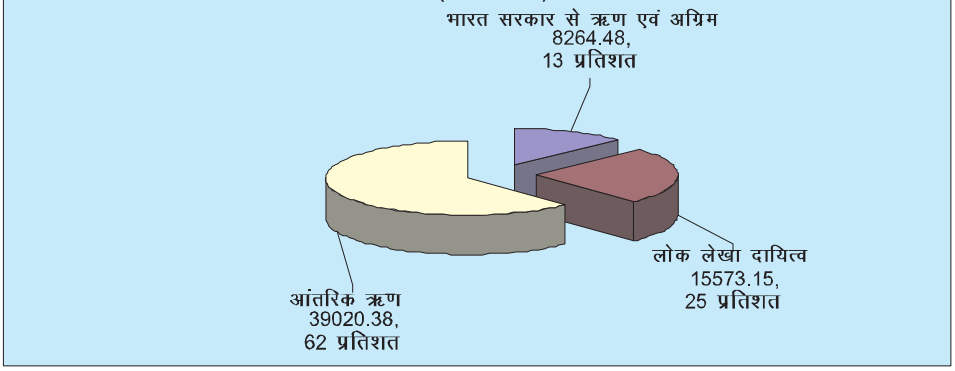


(स्त्रोतः वर्ष 2009–10 के राज्य वित्त लेखे)

[7] बाजार ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, लघु बचत, भविष्य निधि से प्राप्त ऋण तथा अन्य बाध्यता।

चार्ट 1.10 : 31 मार्च 2011 को अदत्त राजकोषीय देयताओं के संघटक

(₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः वर्ष 2010–11 के राज्य वित्त लेखे)

राज्य की कुल राजकोषीय देयताएं वर्ष 2009–10 के स्तर ₹ 58690 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010–11 में ₹ 62858 करोड़ हो गयी। पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2010–11 में वृद्धि दर 7.10 प्रतिशत था। राजकोषीय देयता के विकास दर में 6.75 प्रतिशत (2009–10) से 7.10 प्रतिशत (2010–11) की वृद्धि रही तथा जी. एस. डी. पी. के प्रति राजकोषीय दायित्व को अनुपात में वर्ष 2010–11 के दौरान 0.475 (2006–07) प्रतिशत से घटकर 0.295 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2010–11 के अंत तक राज्य की देयता राजस्व प्राप्ति के 1.41 गुणा तथा राज्य की निजी संसाधन के 5.79 गुणा तक स्थिर रही । वर्ष के दौरान जी. एस. डी. पी. के संबंध में इन देयता की उत्प्लावकता 0.33 था जो यह दर्शाता है कि जी. एस. डी. पी. में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि पर राजकोषीय दायित्व 0.33 प्रतिशत बढ़ा (*परिशिष्ट 1.6*) ।

आगे राजकोषीय देयता वर्ष 2006–07 में ₹ 49089 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010–11 में ₹ 62858 करोड़ हो गई। 31 मार्च 2011 तक निक्षेप निधि का बकाया शेष ₹ 440 करोड़ था, इसमें वर्ष 2010–11 के दौरान हुई वृद्धि ₹ 160 करोड़ सम्मिलित है।

1.7.3 प्रत्याभूति की स्थिति – आकस्मिक देयतायें

यदि उधार लेने वाला जिसके लिये प्रत्याभूति का विस्तार किया गया और उसके द्वारा ऋण की अदायगी नहीं किया जाता है तो गारंटी राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक देयता होते हैं । संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत राज्य विधान मंडल द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं पारित किया गया है जिसके निर्धारित सीमा के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य की संचित निधि के प्रतिभूति पर गारंटी दिया जा सके । वित्त लेखा के विवरणी संख्या 9 के अनुसार अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार द्वारा गारंटी दिया गया और विगत तीन वर्षो का लंबित गारंटी **तालिका 1.18** में दिया गया।

तालिका -1.18: बिहार सरकार द्वारा दी गई गारंटी

(₹ करोड़ में)

गारंटी	2008-09	2009-10	2010-11
गारंटी की अधिकतम राशि	1547.73	1547.73	1549.03
गारंटी की लंबित राशि (पूँजी)	704.24	898.83	587.96
कुल राजस्व प्राप्ति से अधिकतम गारंटी राशि की प्रतिशतता	4.69 (32981)	4.36 (35527)	3.48 (44532)
कोष्ठक में आंकड़े राजस्व प्राप्तियाँ इंगित करते हैं			

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में गारंटी के विरुद्ध कोई राशि नहीं दिया। 31 मार्च 2011 तक गारंटी की लंबित राशि ₹ 588 करोड़ था इसमें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (₹ 195 करोड़) बिहार राज्य वित्त निगम (₹ 127 करोड़) और अन्य के (₹ 266 करोड़) थे। पुनः भविष्य में बढ़ने वाले दायित्व से मुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा गारंटी शुल्क के जरिये गारंटी मोचन निधि की स्थापना किया जाना बांकी है।

1.8 ऋण निर्वाहता

राज्य सरकार के ऋणों की मात्रा के अतिरिक्त यह आवश्यक है कि उन सूचकों का विशलेषण किया जाए जो कि राज्य सरकार की ऋण निर्वाहता[8] का निर्धारण करते हैं । प्रतिवेदन का यह प्रमाण ऋण स्थिरता[9], गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता[10], उधार ली गई राशियों की निवल उपलब्धता[11], ब्याज भुगतान का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के अनुपात की माप) और राज्य सरकार के प्रतिभूतियों की परिपक्वता अनुपात के संदर्भ में राज्य सरकार के ऋणों की संवहनीयता का आकलन करता है । वर्ष 2006-07 से प्रारंभ होने वाले आगामी पांच वर्षो की अवधि में इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण संधारणीयता **तालिका 1.19** में विश्लेषित की गई है ।

[8] किसी समयावधि तक ऋण और जी.एस.डी.पी. अनुपात को स्थिर रखने की सरकार के सामर्थ्य को निर्वाहता के रूप में परिभाषित किया गया है एवं इसके ऋण चुकाने के सामर्थ्य भी शामिल है। ऋण की निर्वाहता इसलिए चालू था कि प्रतिबद्ध दायित्वों कि पूर्ति के लिए परिशोधित परिसंपति की पर्याप्तता का भी जिक्र करता है एवं अतिरिक्त ऋण की लागत एवं ऐसे ऋणों से निवेश के बीच संतुलन बनाये रखने की क्षमता रखता है । इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण को चुकाने की क्षमता में वृद्धि के बराबर होना चाहिए।

[9] स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त है कि आर्थिक वृद्धि दर, ब्याज दर या लोक ऋण की लागत से अधिक हो, ऋण जी.एस.डी.पी. अनुपात स्थिर होने की संभावना है बशर्ते कि आरंभिक शेष या तो शून्य था धनात्मक या नाम मात्र ऋणात्मक हो। दिये गए दर विस्तार जी एस डी पी वृद्धि दर-ब्याज दर एवं परिणाम विस्तार (ऋण दर विस्तार), ऋण की स्थिति दर्शाता है यदि आरंभिक घाटा के साथ परिमाण विस्तार शून्य है तो ऋण जी.एस.डी.पी. अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः स्थिर रहेगा। दूसरी ओर यदि प्रारंभिक घाटा के साथ विस्तार ऋणात्मक हो तो ऋण-जी एस डी पी अनुपात बढेगा एवं धनात्मक मामले में ऋण जी एस डी पी अनुपात अंततः घटेगा।

[10] राज्य के बढ़ते हुए गैर ऋण प्राप्तियों को तभी पर्याप्त माना जाएगा यदि बढते हुए ब्याज दायित्वों एवं बढ़ते हुए व्यय को पुरा कर सके। यदि प्रारंभिक व्यय एवं ब्याज दायित्व में वृद्धि के पूर्ति हेतु गैर ऋण प्राप्तियों में वृद्धि हो सके तो ऋण निर्वाहता में आसानी हो सकती है।

[11] उधार निधियों की निवल उपलब्धता-इस कुल ऋण प्राप्तियों के ऋण मोचन अनुपात (मूलधन + ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित किया गया है तथा यह ऋण मोचन एवं ऋण प्राप्तियों का अनुपात प्रदर्शित करता है कि निवल उपलब्ध उधार निधियों को दर्शाते हुए किस मात्रा में ऋण विमोचन में ऋण प्राप्तियों का उपभोग किया जाता है।

तालिका **1.19:** ऋण निर्वाहता–सूचकांक और प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण के सूचकांक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
ऋण स्थिरता (परिमाण विस्तार + प्रारंभिक अधिशेष)	8396.51	5925.05	10729.53	-226.39	9449.84
गैर ऋण प्राप्ति कीप र्याप्तता (संसाधन अन्तर)	679.00	1318.00	-804.00	-1524	3372
उधार निधियों की शुद्ध उपलब्धता	-692.00	-1496.00	93	28	71
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/ राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.15	0.13	0.11	0.10	0.10
राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा (वर्षो में)					
शून्य से एक वर्ष					723 (4)
एक से तीन वर्ष					3173 (18)
तीन से पाँच वर्ष					2700 (15)
पाँच से सात वर्ष					895 (5)
सात वर्ष से अधिक					10089 (58)
कुल बाजार ऋण					17580

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

ऋण निर्वाहता के चार सूचकों में से तीन सूचकों में राज्य की स्थिति अच्छी थी । प्रत्येक सूचकों की स्थिति निम्नवत थी :

यदि प्रारंभिक घाटा के साथ–साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य है, ऋण–जी.एस.डी.पी. अनुपात नियत होगा या ऋण सम्भाव्यतः स्थिर होगा। वर्ष 2009–10 की तुलना में प्रमात्रा विस्तार के साथ प्रारंभिक घाटा (–) ₹ 226.39 करोड़ से बढ़कर 2010–11 में ₹ 9449.84 करोड़ हुआ जो यह दर्शाता कि ऋण निर्वाहता की वृद्धि हुई । फिर भी, ऋण स्थिरता को बनायें रखने हेतु राज्य सरकार को अपने संसाधन में वृद्धि के साथ अनुत्पादक व्यय को कम करना चाहिए ।

उधारों की निवल उपलब्धता, ऋण विमोचन (मूलधन एवं ब्याज भुगतान) एवं कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित है तथा उधारी निधियों की निवल उपलब्धता प्रदर्शित करती है कि ऋण प्राप्तियों का किस सीमा तक ऋण विमोचन हेतु प्रयोग किया जाता है ।

वर्ष 2010–11 के वित्त लेखे के विवरणी संख्या 6 के अनुसार वर्ष 2010–11 में सरकार आंतरिक ऋण में ₹ 5251 करोड़, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों ₹ 782 करोड़, अन्य दायित्वों में ₹ 7658 करोड़ एवं आन्तरिक ऋण पुनर्भुगतान में ₹ 1725 करोड़ भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में ₹ 466 करोड़ और अन्य भुगतान में ₹ 7332 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई । परिणामस्वरूप इस वर्ष उधारी निधियों की निवल उपलब्धि मात्र ₹ 71 करोड़ रही।

तालिका 1.19 में राज्य ऋण की परिपक्वता दर्शाता है कि कुल ऋण का 37 प्रतिशत आने वाले पाँच वर्ष के अंदर भुगतान किया जाना था और शेष 63 प्रतिशत का पाँच वर्षो के बाद भुगतान किया जाना । इसलिए वर्ष 2014–16 की अवधि में ₹ 2700 करोड़, 2016–17 की अवधि में ₹ 895 करोड़, 2017–18 की अवधि में ₹ 10089 करोड़ ऋण भुगतान के लिए राज्य उत्तरदायी था, इसके लिए ऋण संधारणीयता में सुधार कर निधि संवर्धन करना होगा, जिससे आने वाले समय में ऋण का पुनर्भुगतान किया जा सके । इन क्रमिक वर्षो में परिपक्व ऋण के अतिरिक्त और कर्ज नहीं लेना पड़े इसके लिए सरकार को ऋण पुनर्भुगतान हेतु सुदृढ़ योजना तैयार करना होगा।

उपरोक्त पैरा यह इंगित करता है कि जब तक उधारी को नियंत्रित नहीं किया जाएगा तब तक राज्य को ऋण सेवाओं के कठिन समस्या का सामना करना होगा ।

1.9 राजकोषीय असंतुलन

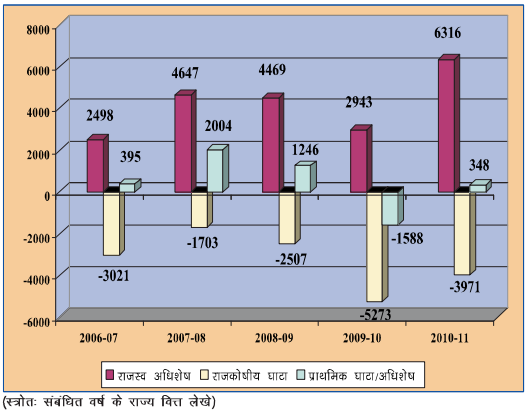
तीन मुख्य वित्तीय पैमाने – राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारंभिक घाटे – किसी विशेष अवधि में राज्य सरकार के वित्त के सम्पूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा इंगित करता है । सरकारी लेखे में घाटा अपने संसाधन एवं प्रतिबद्धता के बीच के अंतर को दर्शाता है । साथ ही घाटे की प्रकृति सरकार के वित्तीय प्रबंधन को इंगित करता है। साथ ही घाटे का वित्तीय पोषण एवं संसाधनों की उगाही तथा प्रयोग राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण सूचक है । यह खंड इन घाटों की प्रवृत्ति, प्रकृति परिणाम और इनके वित्तीय पोषक के तरीका को दर्शाता है, साथ ही यह एफ.आर.बी.एम. अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारित राजस्व तथा राजकोषीय घाटे की तुलना में वास्तविक प्राप्त राजस्व के स्तर की गणना करता है ।

1.9.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

वर्ष 2006-07 से राज्य को राजस्व अधिशेष प्राप्त था । चार्ट **1.11** दर्शाता है कि पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2009-10 की अवधि में वास्तविक अधिशेष ₹ 1526 करोड़ से घट गया जबकि वर्ष 2010-11 में ₹ 3373 करोड़ बढ़ गया ।

चार्ट 1.11: घाटे की सूचकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

तालिका 1.20 : वर्ष 2006-11 की अवधि के दौरान घाटे की प्रवृत्ति

वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजस्व अधिशेष/जी.एस.डी.पी.	0.024	0.039	0.029	0.017	0.030
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	0.029	0.014	0.016	0.030	0.018
प्रारंभिक अधिशेष/जी.एस.डी.पी.	0.038	0.017	0.008	0.009	0.016

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति में ₹ 9005 करोड़ की वृद्धि के कारण राजस्व अधिशेष ₹ 3373 करोड़ बढ़ा । वर्ष 2010-11 में राज्य ने एफ.आर.बी.एम. तथा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राजकोषीय घाटा के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया । राजकोषीय घाटा वर्ष 2009-10 में ₹ 5273 करोड़ से वर्ष 2010-11 में घटकर ₹ 3971 करोड़ हो गया तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद से इसका अनुपात घटकर क्रमशः 0.030 से 0.018 हो गया जैसा कि तालिका **1.20** मे दर्शाया गया है । पुनः इस वर्ष के दौरान ₹ 1588 करोड़ (2009-10) का प्रारंभिक घाटा, ₹ 348 करोड़ के प्रारंभिक अधिशेष के रूप में परिवर्तित हुआ (*परिशिष्ट 1.6*) ।

1.9.2 राजकोषीय घाटा तथा इसके वित्त पोषण प्रतिमान के घटक

राजकोषीय घाटे के वित्तीय पोषण प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन हुए । वर्ष 2010-11 की अवधि में वित्तीय घाटा के अवयवों के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरणों को तालिका **1.21** में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.21: राजकोषीय घाटा के अवयव एवं इसकी वित्तीय प्रणाली

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजकोषीय घाटा का संरचना		**(-) 3020.91**	**(-) 1703.46**	**(-) 2506.97**	**(-) 5273.01**	**(-) 3971**
1	राजस्व घाटा/राजस्व अधिशेष	2498.14	4646.85	4469.11	2942.66	6316
2	निवल ऋण पूँजीगत व्यय	(-) 5211.13	(-) 6103.78	(-) 6436.35	(-) 7332.09	(-) 9196
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 307.92	(-) 246.53	(-) 539.73	(-) 883.58	(-) 1091
राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण प्रणाली						
1	बाजार ऋण	(-) 412.72	(-) 779.56	3757.12	2501.91	1707.78
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 314.15	39.75	(-) 278.81	(-) 49.35	316.03
3	एन.एस.एस.एफ की विशेष प्रतिभूति	2040.69	661.59	529.08	1472.52	1533.39
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	(-) 314.15	58.26	238.22	226.32	285.20
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	395.05	268.40	144.41	(-) 262.86	252.70
6	जमा और अग्रिम	869.48	1700.04	(-) 690.52	(-) 134.15	50.94
7	उचंत तथा विविध	583.65	(-) 2190.35	395.96	(-) 290.89	1830.68
8	प्रेषण	(-) 63.14	618.30	(-) 221.57	(-) 54.82	79.96
9	अन्य	शून्य	(-) 44.60	293.24	(-) 41.69	23.72
10	सम्पूर्ण अधिशेष/घाटा	**97.01**	**(-) 1371.62**	**1660.14**	**(-) 1906.02**	**6080.37**
11	नगद शेष वृद्धि(-)कमी(+)					-2109.39
12	सकल राजकोषीय घाटा					**3971**

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

*** ये सभी आंकडें वर्ष के दौरान निवल से विवरण, बहिर्गमन**

नगद शेष (रिजर्व बैंक में जमा और कोषागार में प्रेषण)

तलिका 1.22: 2010–11 की अवधि में वित्तीय अवयवों के अन्तर्गत प्राप्ति एवं संवितरण के राजकोषीय घाटे

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1	बाजार ऋण	2600.00	892.22	1707.78
2	भारत सरकार से ऋण	781.53	465.50	316.03
3	एन. एस एस एफ की विशेष प्रतिभूति	2015.69	482.30	1533.39
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	635.20	350.00	285.20
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	838.84	586.14	252.70
6	जमा एवं अग्रिम	6624.39	6573.45	50.94
7	आरक्षित निधि	243.73	220.01	23.72
8	उच्चंत और विविध	123825.29	121994.61	1830.68
9	प्रेषण	9279.87	9199.91	79.96
10	संपूर्ण अधिशेष (+) घाटा (–)			**6080.37**
11	नगद शेष में वृद्धि (+) कमी (–)			-2109.39
12	सकल राजकोषीय घाटा			**3971**

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

राजकोषीय घाटा, जो सरकार की उधारी एवं संसाधनों के अन्तर को दर्शाता है । वह वर्ष 2009–10 के ₹ 5273 करोड़ से घटकर 2010–11 में ₹ 3971 करोड़ हो गया ।

तालिका 1.21 राजकोषीय घाटा के वियोजन जिसमें सरकार द्वारा अपने आवश्यकता की पूर्ति हेतु राजस्व और ऋण रहित प्राप्ति के अलावा, निधि व्यवस्था हेतु कर्ज लेने के विभिन्न उपाय को दर्शाता हैं।

वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि में सकल पूँजीगत व्यय में सतत वृद्धि ₹ 5211से ₹ 9196 करोड़ (76.50 प्रतिशत) था जो संपूर्ण राजकोषीय घाटे की स्थिति इंगित करता है। यह राजकोषीय घाटा के रूप में निवल पूँजीगत व्यय को वर्ष 2006–07 के 58 से वर्ष 2010–11 में 43 प्रतिशत तक कम कर दिया ।

राजकोषीय घाटा व्यय में निवल ऋण और अग्रिम महत्वपूर्ण अवयव थे । वर्ष 2006–07 और 2010–11में इनके अंश की मात्रा कमशः 10.19 और 27.47 प्रतिशत थी।

वर्ष 2009–10 की अवधि में राजकोषीय घाटा जो पूँजीगत व्यय का 72 प्रतिशत रहा वर्ष 2010–11 में घटकर पूंजीगत व्यय का 43 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2006–07 की अवधि में राजकोषीय घाटा मुख्यतः एन एस एस एफ को जारी किये गए विशेष प्रतिभूति, जमा एवं अग्रिम तथा उच्चंत एवं विविध द्वारा वित्तपोषित थे जबकि वर्ष 2010–11 कि अवधि में राजकोषीय घाटा मुख्यतः बाजार ऋण और एन.एस.एस. एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूति द्वारा वित्त पोषित था।

1.9.3 घाटे/आधिक्य की गणवत्ता

राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात, प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे में अपघटन एवं पूँजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों को सम्मिलित करते हुए) राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं। राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटा का अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि किस सीमा तक उधार की राशियों का उपयोग चालू व्ययों को पूरा करने के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त, राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे के अनुपात का लगातार उच्च स्तर पर रहना यह इंगित करता है कि राज्य की परिसम्पत्तियों का आधार लगातार कम हो रहा है एवं कुछ सीमा

तक ऋण (राजकोषीय देयताओं) राज्य की परिसम्पतियों द्वारा समर्थित नहीं है प्राथमिक घाटे (**तालिका 1.23**) कर द्विभाजन उस सीमा की ओर इंगित करेगा जिस सीमा तक पूँजीगत व्यय बढ़ जाने के कारण प्राथमिक घाटा हुआ। पूंजीगत व्यय में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार हेतु वांछित हो सकती है ।

तालिका **1.23:** प्राथमिक घाटा/अधिशेष कारकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्ति[12]	प्राथमिक राजस्व व्यय[13]	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा(–) अधिशेष(+)	प्राथमिक घटा (–) अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2006-07	23090	17169	5211 (23)	315	22695	5921	+395
2007-08	28236	19856	6104 (23)	272	26232	8380	+2004
2008-09	32992	24759	6436 (20)	551	31746	8233	+1246
2009-10	35540	28899	7332 (21)	897	37128	6641	-1588
2010-11	44544	33897	9196(4)	1103	44196	10647	+348

(स्त्रोतः संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे)

सरकार का प्राथमिक राजस्व अधिशेष बढ़ती प्रवृत्ति के साथ था । यह वर्ष 2006–07 के ₹ 5921 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2008–09 में ₹ 8233 करोड़ हो गया, लेकिन वर्ष 2009–10 में घटकर ₹ 6641 करोड़ हो गया और अंततः वर्ष 2010–11 में बढ़कर ₹ 10647 करोड़ हो गया । इसका कारण प्रारंभिक व्यय में वृद्धि था जिसमें प्राथमिक राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय एवं ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं जो वर्ष 2006–07 के ₹ 22695 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010–11 में ₹ 44196 करोड़ हो गया । विवरणी दर्शाता है कि गैर ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक राजस्व व्यय के लिए पर्याप्त था और इन प्राप्तियों का एक भाग पूँजीगत व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किया गया था । राज्य में प्रारंभिक अधिशेष वर्ष 2008–09 से ही था जो वर्ष 2010–11 के अंत में ₹ 348 करोड़ हो गया ।

[12] राजस्व प्राप्तियों और ऋण एवं अग्रिम की वसूली गैर ऋण प्राप्ति के रूप में हैं ।
[13] प्राथमिक राजस्व व्यय, ब्याज भुगतान एवं राजस्व व्यय के बीच अंतर है ।

1.10 निष्कर्ष

राजस्व और व्यय का प्रतिमान : राजस्व कर में 22 प्रतिशत की वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्ति में वर्ष के दौरान 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई । वर्ष के दौरान राजस्व संग्रहण तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण से 20 प्रतिशत से अधिक और बजट प्राक्कलन से सात प्रतिशत कम था। करेत्तर राजस्व तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारण एवं बजट प्रावकलन से कमशः 40 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कम था जो वर्ष के दौरान 41 प्रतिशत नीचे आ गया।

राजस्व व्यय वर्ष के दौरान हुए कुल व्यय का 79 प्रतिशत था और यह गत वर्ष से 17 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2010–11 के दौरान गैर योजना राजस्व व्यय, राजस्व व्यय का 71 प्रतिशत था। एन. पी. आर. ई. अवयव ₹ 27316 करोड़ तेरहवें वित्त आयोग द्वारा राज्य के लिए किए गए आकलन(₹ 24787 करोड़) से अधिक थे लेकिन बजट प्राक्कलन (₹ 29863 करोड़) से कम थे। गैर योजना राजस्व व्यय के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में प्रतिबद्ध व्यय वेतन, सेवा निवृति देयताएँ, ब्याज भुगतान और अनुदान का भाग 82 प्रतिशत था।

पूँजीगत व्यय जो कुल व्यय का 19 प्रतिशत था वर्ष 2010–11 में वर्ष 2009–10 के व्यय से 25 प्रतिशत बढ़ा। स्थानीय निकाय और अन्य संस्थान का वित्तीय सहायता (₹ 4622 करोड़) वर्ष 2010–11 की अवधि में राजस्व व्यय का 12 प्रतिशत था जो वर्ष 2009–10 से छ : प्रतिशत घटा ।

सरकारी निवेश की समीक्षा : सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थानों और स्थानीय निकाओं में सरकारी निवेश पर विगत पाँच वर्षों के दौरान औसत प्रतिलाभ शून्य प्रतिशत से 0.28 प्रतिशत के बीच रहा, जबकि वर्ष 2006–11 के दौरान निवेश पर भुगतान किए गए औसत ब्याज 7.15 प्रतिशत से 6.87 प्रतिशत के बीच था।

राजस्व बकाया : राजस्व के मुख्य शीर्ष के संबंध में (सात विभागों द्वारा सूचित) 31 मार्च 2011 को राजस्व बकाया ₹ 1198.24 करोड़ था, जिसमें ₹ 598.99 करोड़ पाँच वर्ष से ज्यादा समय से लंबित थे।

अपूर्ण परियोजनाएँ : ₹ 1005 करोड़ की 350 परियोजनायें जिन्हें 31 मार्च 2011 तक पूर्ण की जानी थी अब तक अपूर्ण रही। अपूर्ण परियोजनाओं के समय लागत को कम करना होगा जिससे की बिहार के लोगों की इस लागत से लाभ हो।

भारत सरकार से सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेंसी को हस्तांतरित किये जाने वाले निधि में चूक : वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा ₹ 10309 करोड़ सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेंसी को हस्तांतरित किया गया, जो पूर्व के वर्षों से ₹ 5127 करोड़ (99 प्रतिशत) अधिक था। चूँकि यह निधियाँ सरकारी लेखे से नहीं गुजरती, इसलिए भारत सरकार से सीधे हस्तांतरित किये गये राशि का इन ऐजेंसियों द्वारा लेखों का अनुरक्षण एवं निधियों के उपयोग में चूक का खतरा बना रहता है। इन सभी एजेंसियों द्वारा अनुसरण किये गए लेखा पद्धति में एकरूपता के अभाव में समुचित प्रलेखन नहीं हुआ तथा एजेंसियों द्वारा व्यय की स्थिति का समय पर प्रतिवेदन नहीं दिया जा रहा था।

नगद शेष : राज्यों का नगद शेष वर्ष 2009–10 में ₹ 2291 करोड़ और वर्ष 2010–11 में ₹ 2735 करोड़ था । इसलिए वित्तीय वर्ष के अन्त में नगद शेष के रूप में पूर्व वर्ष से ₹ 444 करोड़ (19 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।